प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 984 सन 2021

अनवान :–

1. लीलूराम पुत्र बंशीलाल पुत्र लेखू जाति मेधवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।।

वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र बंशीलाल पुत्र लेखू जाति मेधवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. महेन्द्रसिह पुत्र बंशीराम पुत्र लेखु जाति मेधवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 25.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 141/71 की कुल 2.9520हैक व खाता संख्या 43/43 की कुल 4.8070हैक मे से 10/19 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बन्शी पुत्र लेखू के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बन्शी पुत्र लेखू के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का पिता हैं वाद भूमि वादी के पिता बन्शी पुत्र लेखू की स्वअर्जित भूमि है वादी के पिता बन्शी पुत्र लेखू ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की वाद भूमि की वसीयत दिनांक 02.07.2015 को अपने तीनों पुत्रो के नाम तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी वादी के पिता बन्शी पुत्र लेखू को देहान्त दिनांक 23.09.2021 को फोत हो चुका है बन्शी पुत्र लेखू के द्वारा अपनी भूमि की करवाई गई वसीयत के अनुसार बन्शी पुत्र लेखू के देहान्त होने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार हो गये है अर्थात वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार हो गये है वादी बन्शी पुत्र लेखू की वसीयत के अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की बन्शी पुत्र लेखू जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता बन्शी पुत्र लेखू के नाम से दर्ज है बन्शी पुत्र लेखू ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में करवाई गई थी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता बंशीलाल का देहान्त हो चुका है बन्शी पुत्र लेखू कि देहानत होने के बाद बन्शी पुत्र लेखू की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है बन्शी पुत्र लेखू के नाम दर्ज भूमि बन्शी पुत्र लेखू की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल / सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति / मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 141 / 71 की कुल 2.9520हैक्ट व खाता संख्या 43 / 43 की कुल 4.8070हैक्ट मे से 10 / 19 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बन्शी पुत्र लेखू के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता बन्शी पुत्र लेखू वाद भूमि के खातेदार काश्तकार थे बन्शी पुत्र लेखू ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि की वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम पंजीबद्व करवाई गई थी बन्शी पुत्र लेखू का देहान्त दिनांक 23.09. 2021 को हो चुका है इसलिये बन्शी पुत्र लेखू की वसीयत के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वाद भूमि के हकदार है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके पूर्वज बन्शी पुत्र लेखू की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

वादी के पिता बंशी पुत्र लेखु की वसीयत के सम्बध में मजमे आम में जानकारी लेने पर बन्शी पुत्र लेखू के द्वारा अपने तीनों पुत्रों के नाम वसीयत करवाई गइ थी तथा बन्शी पुत्र लेखू की द्वारा तहरीर करवाई गइ वसीयत में अंकित गवाहों के द्वारा भी बन्शी पुत्र लेखू के द्वारा अपने पुत्रों के पक्ष में करवाई गइ वसीयत की तस्दीक की गई है व बन्शी पुत्र लेखू के देहान्त होने पर बन्शी पुत्र लेखू के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की होना जाहिर किया गया है एवं अपने कथनो के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 141 / 71 की कुल 2. 9520हैक्ट व खाता संख्या 43 / 43 की कुल 4.8070हैक्ट मे से 10 / 19 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बन्शी पुत्र लेखू के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...22 एनटीआर.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लीलूराम पुत्र बंशीलाल पुत्र लेखू जाति मेधवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।।

वादी

बनाम

1 मदनलाल पुत्र बंशीलाल पुत्र लेखू जाति मेधवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. महेन्द्रसिह पुत्र बंशीराम पुत्र लेखु जाति मेधवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 984 सन 2021 निर्णय दिनांक–25.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 एनटीआर के खाता संख्या 141 / 71 की कुल 2.9520हैक्ट व खाता संख्या 43 / 43 की कुल 4.8070हैक्ट मे से 10 / 19 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बन्शी पुत्र लेखू के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.10.2021को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....22 एनटीआर.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते